

गई। ना तो वादी वकील और ना
ही स्वयं वादी उपस्थित हुए। अतः पत्रावली
लिखित प्रक्रिया लीकता के आदेश 3 नियम 3
(अदम्य पैटर्न अदम्य एजरी) के तहत खारिज
की जाती है पत्रावली केसल में शुमार
होकर नम्बर से कम की जाकर वाकिल
रफ्तार हो।

W.P.
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

